

आवेदन-पत्र**6.1 क़ानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना**

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है । मेरे द्वारा संपादित शपथ पत्र संलग्न है । यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें -

=== हितग्राही
का आधार
नम्बर ===

1. नाम *

2. पिता/पति का
नाम *

3. जन्म तिथि
(DD/MM/YYYY)
*

4. निवास का पूरा पता

(अ) मकान नं. *

(ब) मोहल्ला *

(स) ग्राम/शहर
का नाम *

(द) तहसील *

(इ) जिला *

5. पत्नी का विवरण

(अ) नाम

(ब) आयु (वर्ष में)

6. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण

अध्यतन करने हेतु विकल्प	हटाने हेतु विकल्प	सं. क्र.	नाम	आवेदक से संबंध	आयु - वर्ष	माह
-------------------------	-------------------	----------	-----	----------------	------------	-----

Add New

नाम *

आवेदक से संबंध *

आयु - वर्ष *

माह *

Submit

7. स्थानीय निवासी आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदक केंद्र शासन का, मध्यप्रदेश

की पात्रता के किस मापदण्ड को पूरा करते हैं *

मध्यप्रदेश राज्य को आर्बटित अधिकारी हो

की सीमा में, 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो

● आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो

● आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हों तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हों (मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागु नहीं होगा)

● आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो

● आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो

● आवेदक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो

● आवेदक राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो

● भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है, को मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाये । इसको पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाये ।

8. आवेदक का प्रकार *

● गरीबी रेखा से नीचे (शुल्क - 0 रु.)

● यह सेवा सभी वर्गों के लिए निशुल्क है

● अनु. जाति/अनु. जन जाति/पिछड़ा वर्ग (शुल्क - 10 रु.)

● सामान्य वर्ग (शुल्क - 20 रु.)

9. आवेदक का छायाचित्र

Choose File No file chosen

मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है ।

आवश्यक दस्तावेज (आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित):

स्वयं का घोषणा पत्र । **आवश्यक दस्तावेज ***

दिनांक :
स्थान :

(हस्ताक्षर)

Source: <http://mpedistrict.gov.in> Tuesday, July 31, 2018 12:53 PM आवेदक का नाम